"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017— आषाढ़ 13 , शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-16/2017/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 64 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, उक्त मंडल के अध्यक्ष की अर्हताओं तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (अध्यक्ष की अर्हताओं और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2017 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6);

   (ख) **"मंडल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल;

   (ग) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल;

   (घ) **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

   (2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रवृत्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें.– (1) अध्यक्ष, वही वेतनमान तथा भत्ते प्राप्त करेंगे जो उनके नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें तथा इस प्रकार वेतन विनिर्दिष्ट किये जाने के अभाव में, अध्यक्ष को उसी वेतनमान पर वेतन प्राप्त होगा जैसा कि राज्य शासन के तत्स्थानी प्रास्थिति के विभागाध्यक्ष को लागू है।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष निम्नलिखित का हकदार होगा, –

(क) राज्य शासन के प्रमुख सचिव को यथा अनुज्ञेय नगर प्रतिकर भत्ता तथा शासकीय आवास या गृह भाड़ा भत्ता;

जहां अध्यक्ष को राज्य शासन द्वारा आवास का आबंटन किया जाता है, वहॉ वह गृह भाड़ा भत्ता का हकदार नहीं होगा परन्तु उसे राज्य शासन के प्रमुख सचिव को यथा लागू अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करना होगा;

(ख) अध्यक्ष के रूप में उनके कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में राज्य शासन के प्रमुख सचिव के मामले में अनुज्ञेय दरों पर, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता;

(ग) चिकित्सा सुविधाएं उन्हीं रीति से और उन्हीं सीमाओं तक देय होगी जो राज्य शासन के प्रमुख सचिव को अनुज्ञेय है।

(3) अध्यक्ष के सेवा के अन्य शर्तें ऐसे नियमों एवं विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे, जो कि तत्स्थानी वेतनमान से संबंधित राज्य शासन के अधिकारियों को तत्समय लागू है।

4. **आयु सीमा.–** नियुक्ति/नामांकन के लिये अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को बैसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह सीमा, संविदा नियुक्ति के लिए भी लागू होगी।

5. **शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.–** (1) कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिये चयनित होने हेतु तब ही पात्र होगा, यदि, –

(क) वह पर्यावरण संबंधी विज्ञान अथवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पर्यावरण संबंधी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री धारण करता हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समकक्ष डिग्री तथा पर्यावरण संरक्षण/औद्योगिक प्रदूषण शमन/जल प्रदूषण नियंत्रण/जल

उपचार/वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में बीस वर्षों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो; अथवा

(ख) वह राज्य शासन के प्रमुख सचिव के समकक्ष पद धारण करने वाला अधिकारी हो या रहा हो तथा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री धारण करता हो तथा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रोकथाम आदि से संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों का ज्ञान और अनुभव रखता हो।

6. **निरर्हता.**– एक ऐसा व्यक्ति, जो इन नियमों के अन्तर्गत उपबंधित विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के अधीन विहित शर्तों के अनुसार शासकीय नियोजन में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं है, वह अध्यक्ष के पद पर नामांकित होने के लिये निरर्हित होगा।

7. भर्ती की पद्धति.– (1) अध्यक्ष के पद पर नामांकन हेतु निम्नलिखित को मिलाकर बनी खोज समिति द्वारा तीन नामों की सूची के उपयुक्त व्यक्तियों से छांटकर राज्य शासन को अनुशंसा सहित प्रेषित की जायेगी:–

एक	मुख्य सचिव		अध्यक्ष
दो	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग		सदस्य
तीन	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग		सदस्य
चार	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग		सदस्य
पांच	मुख्य सचिव द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ सदस्य		सदस्य

(2) सामान्यतः, खोज समिति, नियम 5 के अधीन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (छ.ग.प.सं.मं.) के अध्यक्ष पद के नामांकन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी किन्तु राज्य शासन को नामों की अनुशंसा करने के लिये खोज समिति उपयुक्त व्यक्ति के नामों की अनुशंसा करने के लिये अपनी प्रक्रिया स्वतः निर्धारित कर सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहां राज्य शासन की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित कर, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, विशिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगा।

9. **अवशेष उपबंध.**– अध्यक्ष की सेवा की शर्तों से संबंधित मामले, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया हो, उसके निर्णय के लिये राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा राज्य शासन का निर्णय मंडल पर बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 01-16/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 3rd July 2017

NOTIFICATION

No. F 01-16/2017/32. — In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby, makes the following rules regulating the qualifications and other terms and conditions of service of the Chairman in the said Board, namely: -

RULES

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Environment Conservation Board (Qualifications and other Terms and Conditions of Service of Chairman) Rules, 2017.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) **"Act"** means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974);

   (b) **"Board"** means the Chhattisgarh Environment Conservation Board;

   (c) **"Chairman"** means the Chairman of the Chhattisgarh Environment Conservation Board;

   (d) **"State Government"** means the Government of Chhattisgarh.

   (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. **Pay, allowances and other conditions of service. -** (1) The Chairman shall receive pay and allowances as may be specified in his order of appointment and in the absence of being so specified, the Chairman shall receive the pay in the scale as are applicable to the Head of Department of the State Government of corresponding status.

(2) In addition to the pay specified in sub– rule (1), the Chairman shall be entitled to, -

(a) a city compensatory allowance and Government accommodation or house rent allowance as are admissible to a Principal Secretary to the State Government:

Where the Chairman is allotted an accommodation by the State Government, he shall not be entitled to house rent allowance provided that he shall pay a licence fee as applicable to a Principal Secretary to the State Government;

(b) the travelling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as the Chairman, at the rates permissible in the case of a Principal Secretary to the State Government;

(c) the medical facilities shall be payable in such manner and within such limits as are admissible to a Principal Secretary to the State Government.

(3) The other conditions of service of the Chairman shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers of the State Government belonging to the corresponding pay scale.

4. **Age limit. -** The maximum age limit for appointment/nomination shall not exceed Sixty-Two years as on the last date for the receipt of applications. This limit will apply for contract appointment also.

5. **Educational and other qualifications. -**

(1) No person shall be eligible for being selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of Section 4 of the Act, unless, -

(a) he possesses Master's degree in Science or Management relating to Environment or Bachelor's degree in Engineering in a discipline relating to Environment or an equivalent degree from a recognised University or Institute and twenty years practical experience relating to environment protection / industrial pollution mitigation / water pollution control / water treatment / air pollution control; or

(b) he is or has been an officer holding the post in the rank of Principal Secretary to the State Government and possesses a Master's degree in Science or Bachelor's degree in Engineering and has knowledge and experience of at least 3 years in the areas related to environment protection and abatement of pollution, etc.

6. **Disqualification.** – One such person, who is not qualified for appointment in Government employment as per the terms prescribed under the rules of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 for matters other than matters provided under these rules, shall also be disqualified for being nominated to the post of Chairman.

7. **Mode of recruitment.** - (1) A list of three names of suitable persons shall be short listed and forwarded with recommendation to the State Government for nomination for the post of Chairman by a Search Committee consisting of the following : -

i.	Chief Secretary	-	Chairman
ii.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, General Administration Department	-	Member
iii.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Forest Department	-	Member
iv.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Housing and Environment Department	-	Member
v.	An Expert Member to be nominated by the Chief Secretary	-	Member

(2) Generally, the Search Committee shall invite applications through advertisement from eligible candidates for nomination to the post of Chairman, for the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB), under Rule 5 but the search committee may determine its own procedure for recommendation of names of suitable persons to the State Government.

8. **Power to relax.** -Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by special or general order, for reasons to do so, be recorded, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Residuary Provision.**- Matter relating to the conditions of service of the Chairman with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred to the State Government for its decision and the decision of the State Government thereon shall be binding on the Board.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-16/2017/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 64 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, उक्त मंडल के सदस्य-सचिव की अर्हताओं तथा सेवा के निबंधन और शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सदस्य—सचिव की अर्हताओं, सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2017 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6);

(ख) **"मंडल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल;

(ग) **"सदस्य—सचिव"** से अभिप्रेत है सदस्य—सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल;

(घ) **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रवृत्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.– (1) सदस्य–सचिव वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे जो उनके नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें तथा इस प्रकार वेतन विनिर्दिष्ट किये जाने के अभाव में, सदस्य–सचिव को उसी वेतनमान पर वेतन प्राप्त होगा जैसा कि राज्य शासन के तत्स्थानी प्रास्थिति के अधिकारी को लागू है।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, सदस्य–सचिव निम्नलिखित का हकदार होगा,–

(क) राज्य शासन के सचिव को यथा अनुज्ञेय नगर प्रतिकर भत्ता तथा शासकीय आवास या गृह भाड़ा भत्ताः

जहां सदस्य–सचिव को राज्य शासन द्वारा आवास का आबंटन किया जाता है, वहॉ वह गृह भाड़ा भत्ता का हकदार नहीं होगा परन्तु उसे राज्य शासन के सचिव को यथा लागू अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करना होगा;

(ख) सदस्य–सचिव के रूप में उनके कर्तव्यों के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में, राज्य शासन के सचिव को यथा अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता;

(ग) चिकित्सा सुविधाएं उन्हीं रीति से और उन्हीं सीमाओं तक देय होगी जो राज्य शासन के सचिव को अनुज्ञेय है।

(3) सदस्य–सचिव की सेवा के अन्य शर्तें ऐसे नियमों एवं विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे, जो कि तत्स्थानी वेतनमान से संबंधित राज्य शासन के अधिकारियों को तत्समय लागू है।

4. **आयु सीमा.**– नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को सन्तावन वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह सीमा, संविदा नियुक्ति के लिए भी लागू होगी।

5. **शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.**– (1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (च) के अधीन सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये चयनित होने हेतु तब ही पात्र होगा, यदि,–

(क) वह पर्यावरण संबंधी विज्ञान अथवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पर्यावरण संबंधी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री धारण करता हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समकक्ष डिग्री तथा पर्यावरण संरक्षण/औद्योगिक प्रदूषण शमन/जल प्रदूषण नियंत्रण/जल उपचार/वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में पन्द्रह वर्षों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो; अथवा

(ख) वह राज्य शासन के सचिव के समकक्ष पद धारण करने वाला अधिकारी हो या रहा हो तथा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री धारण करता हो तथा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रोकथाम आदि से संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों का ज्ञान और अनुभव रखता हो।

6. **निरर्हता.**– एक ऐसा व्यक्ति, जो इन नियमों के अन्तर्गत उपबंधित विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के अधीन विहित शर्तों के अनुसार शासकीय नियोजन में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं है, वह सदस्य–सचिव के पद में नियुक्त होने के लिये निरर्हित होगा।

7. भर्ती की पद्धति.– (1) सदस्य–सचिव के पद में नियुक्ति हेतु निम्नलिखित को मिलाकर बनी खोज समिति द्वारा तीन नामों की सूची के उपयुक्त व्यक्तियों से छांटकर कर राज्य शासन को अनुशंसा सहित प्रेषित की जायेगी:–

एक	मुख्य सचिव		अध्यक्ष
दो	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग		सदस्य
तीन	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग		सदस्य
चार	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग		सदस्य
पांच	मुख्य सचिव द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ सदस्य		सदस्य

(2) सामान्यतः, खोज समिति, नियम 5 के अधीन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (छ.ग.प.सं.मं.) के सदस्य–सचिव पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी किन्तु राज्य शासन को नामों की अनुशंसा करने के लिये खोज समिति उपयुक्त व्यक्ति के नामों की अनुशंसा करने के लिये अपनी प्रक्रिया स्वतः निर्धारित कर सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहां राज्य शासन की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित कर, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, विशिष्ट या सामान्य आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगा।

9. **अवशेष उपबंध.**– सदस्य–सचिव की सेवा की शर्तों से संबंधित मामले, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया हो, उसके निर्णय के लिये राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा राज्य शासन का निर्णय मंडल पर बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 01-16/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 3rd July 2017

NOTIFICATION

No. F 01-16/2017/32. — In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby, makes the following rules regulating the qualifications, terms and conditions of service of the Member-Secretary of the said Board, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Environment Conservation Board (Qualifications, Terms and Conditions of service of Member-Secretary) Rules, 2017.
   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (e) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974);

   (f) "Board" means the Chhattisgarh Environment Conservation Board;

   (g) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Chhattisgarh Environment Conservation Board;

   (h) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.

   (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. **Pay, allowances and other conditions of service.**-(1) The Member-Secretary shall receive pay and allowances as may be specified in his order of appointment and in the absence

of being so specified, the Member-Secretary shall receive the pay in the scale as are applicable to an officer of corresponding status of the State Government.

(2) In addition to the pay specified in sub–rule (1), the Member-Secretary shall be entitled to, -

(a) a city compensatory allowance and Government accommodation or house rent allowance as are admissible to the Secretary to the State Government:

Where the Member-Secretary is allotted an accommodation by the State Government, he shall not be entitled to house rent allowance provided that he shall pay a licence fee as applicable to the Secretary to the State Government;

(b) the travelling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as the Member

Secretary, at the rates as are admissible to a Secretary to the State Government;

(c) the medical facilities shall be payable in such manner and within such limits as are admissible to the Secretary to the State Government.

(3) The other conditions of service of the Member-Secretary shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers of the State Government belonging to the corresponding pay scale.

4. Age limit. - The maximum age limit for appointment shall not exceed fifty-seven years as on the last date of the receipt of applications. This limit will apply for contract appointment also.

5. Educational and other qualifications. - No person shall be eligible for being selected for appointment as the Member Secretary under clause (f) of sub-section (2) of Section 4 of the Act, unless, -

(a) he possesses Master's degree in Science or Management relating to environment or Bachelor's degree in Engineering in a discipline relating to Environment or an equivalent degree from a recognised University or Institute and fifteen years practical experience relating to environment protection / industrial pollution mitigation / water pollution control / water treatment / air pollution control; or

(b) he is or has been an officer holding the post in the rank of Secretary to the State Government and possesses a Master's degree in Science or Bachelor's degree in Engineering and has knowledge and experience of at least 3 years in the areas related to environment protection and abatement of pollution, etc.

6. **Disqualification.** – One such person, who is not qualified for appointment in Government employment as per the terms prescribed under the rules of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 for matters other than matters provided under these rules, shall also be disqualified for being appointed to the post of Member-Secretary.

7. **Mode of recruitment**. - (1) A list of three names of suitable persons shall be short listed and forwarded with recommendation to the State Government for appointment for the post of Member-Secretary by a Search Committee consisting of the following : -

vi.	Chief Secretary	-	Chairman
vii.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, General Administration Department	-	Member
viii.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Forest Department	-	Member

ix.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Housing and Environment Department	-	Member
x.	An Expert Member to be nominated by the Chief Secretary	-	Member

(2) Generally, the Search Committee shall invite applications through advertisement from eligible candidates for appointment for the post of Member-Secretary, for the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB), under Rule 5 but the search committee may determine its own procedure for recommendation of names of suitable persons to the State Government.

8. **Power to relax**. - Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by special or general order, for reasons to do so, be recorded, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Residuary Provision**.- Matter relating to the conditions of service of the Member-Secretary with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred to the State Government for its decision and the decision of the State Government thereon shall be binding on the Board.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-16/2017/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 3 और नियम 4 को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 01-16/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 3rd July 2017

NOTIFICATION

No. F 01-16/2017/32. — In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby, makes the following amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

Rules 3 and rule 4 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.